नए पंजीयन और राशि बढ़ाने का मामला सदन में गरमाया

लाड़ली बहना योजना

▸ विपक्ष ने किया वाकआउट

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान लाड़ली बहना योजना में नए पंजीयन नहीं होने और बहनों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए नहीं देने का मामला प्रमुखता से उठा. विपक्ष के सदस्य महेश परमार ने इस पर सवाल किया, लेकिन जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कोई स्पष्ट बात नहीं की कि पंजीयन कब से शुरू होगा और 3 हजार की राशि कब से मिलेगी, विपक्ष को इतना जरुर आश्वासन दिया कि विपक्ष चिंता नहीं करे.

वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कहा कि हमने 5 वर्ष में देने की घोषणा की है, वर्ष 2028 तक हम 3 हजार की राशि देने वाले हैं. पंजीयन का लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करो, वह भी होगा. इस पर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए वाकआउट कर दिया.

मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि योजना के शुरू में एक करोड़ 31 लाख 6 हजार 525 महिलाओं का पंजीयन कराया गया था, वहीं वर्तमान में एक करोड़ 25 लाख 29 हजार 51 पंजीयन सक्रिय है. उन्होंने ये भी बताया कि महज 40 पंजीयन को दावा आपत्ति समिति ने अपात्र होने के कारण योजना से अलग किया गया है. ये भी बताया कि वर्तमान में नए पंजीयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सुश्री भूरिया के मुताबिक योजना में मृत्यु होने पर या फिर 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर बहनों को योजना से बाहर किया जाता है. उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

इस पर विधायक परमार ने कहा कि वर्ष 2023 में सत्ता विरोधी माहौल था, तब शिवराज चौहान ने कहा कि बहनों को 3 हजार देंगे. और फिर सरकार बना ली, सरकार ने लाड़ली बहनों को सरकारी कार्यक्रम के सफल होने का जरिया बना लिया है. उन्हें हर कार्यक्रम में उपस्थिति देना होता है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री बहनों को धमकियां देते हैं कि यदि कार्यक्रम में नहीं आए तो नाम काट दिए जाएंगे.

क्या बहनों को सरकार ने खरीद लिया है. 60 साल से ज्यादा उम्र की बहनों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की बहनों को मदद की ज्यादा जरुरत होती है. इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्यों के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि सरकार को पंजीयन की तिथि बताने में क्या दिक्कत है.

▶ विपक्ष ने फैलाया भ्रम : सीएम

इस पर सीएम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि सरकार बनते ही ये योजना बंद हो जाएगी. केवल चुनाव तक है, लेकिन ये योजना को अब ढाई साल हो गए हैं, एक हजार से शुरू कर डेढ़ हजार तक पहुंच गए हैं. घोषणा पत्र में कहा है कि पांच वर्ष में 2028 तक देंगे. आखिरकार जब नए पंजीयन कब से शुरू होंगे? जैसे सवाल का जब स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो फिर विपक्ष ने वाकआउट कर दिया.

रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर ढाई करोड़ की ठगी

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर साइबर ठगी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है. वायुसेना के एक सेवानिवृत अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 2 करोड़ 52 लाख रूपये की ठगी कर ली. साइबर ठग सेवानिवृत अधिकारी व उनकी पत्नी को 28 जनवरी से डिजिटल अरेस्ट किये हुये थे. पुलिस ने आज इस मामले में शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ठगों की तलाश शुरू कर दी है. सेवानिवृत अधिकारी 90 वर्षीय नारायण महादेव व उनकी पत्नी से साइबर ठगों ने जिंदगी भर की कमाई डिजीटल अरेस्ट में फंसे होने की धमकी देकर हड़प ली.

दिल्ली प्रदर्शन : ग्वालियर में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां

दिल्ली पुलिस का ग्वालियर चंबल में डेरा

हिरासत में लिए कार्यकर्ताओं पर लगे गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 फरवरी. दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह 'एआई इम्पैक्ट समिट' में युवा कांग्रेस द्वारा कमीज उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में ग्वालियर से 3 कार्यकर्ताओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने सहित कई आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि युवक कांग्रेस से जुड़े जितेंद्र यादव, राज गुर्जर और अजय कुमार को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या सात हो गई है. इनके अलावा पुलिस ने ललितपुर से यूथ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव रितिक उर्फ मोंटी शुक्ला को भी हिरासत में लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने में हानिकारक कार्य करना) तथा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और बयान) के अलावा कई और धाराएं जोड़ी हैं.

> इन धाराओं के तहत तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. दिल्ली पुलिस मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को ग्वालियर से उठाकर दिल्ली ले गई है. यादव पर राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है. परिजनों ने बताया कि जितेंद्र अपने कमरे में थे. अचानक घर के गेट पर किसी की आहट हुई. जब तक परिवार के लोग बाहर आए, पुलिस सीधे उनके कमरे में जाकर उन्हें उठाकर नीचे ले आई. उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें मारते पीटते दिल्ली की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर ले गई.

20% लाड़लियों को ही 1 लाख

52% ने कक्षा छठी में प्रवेश लिया

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. प्रदेश में 52.35 फीसदी लाडली लक्ष्मियों ने कक्षा 6 तक पढ़ाई की, वहीं कक्षा 12वीं में मात्र 19.97 फीसदी लाड़ली लक्ष्मियों ने ही प्रवेश लिया.

कॉलेज की दहलीज तक पहुंचकर स्नातक तक जाने वाली लाडली लाक्ष्मियों की संख्या महत 5.83 फीसदी है. वहीं स्नातकोत्तर तक पहुचने वाली की संख्या तो एक फीसदी से भी कम महज 0.33 फीसदी है. यह जानकारी महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि 2007 से 2025 तक 52.2 लाख लाडली लक्ष्मियों ने पंजीयन करवाया. 2012 में सबसे अधिक पंजीयन 354271 और उसके बाद 2021 में 344649 हुआ. 2025 में 272006 पंजीयन हुए. प्रतिवर्ष पंजीयन की संख्या में काफी अंतर पर मंत्री ने जवाब दिया की पात्रता के अनुसार पंजीयन किया जाता है. उल्लेखनीय की लाडली लक्ष्मियों में शिक्षा के प्रति रुझान कम होने को लेकर 3 दिसंबर 2025 को इंदौर उच्च न्यायालय ने स्वत:ही संज्ञान लिया है, जिसमें दो/तीन बार सुनवाई होने पर भी शासन ने उत्तर नहीं दिया, जवाब के लिए समय मांगा है. लाड़ली लक्ष्मी की शर्तों के अनुसार जिन लाडलियों ने कक्षा 12वीं में प्रवेश लिया है, उन्हीं को एक लाख की राशि 21 वर्ष पूर्ण करने पर प्राप्त होगी.

रेलवे-सड़क कार्यों की नियमित होगी समीक्षा

भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने के श्रम विभाग को दिए निर्देश

भोपाल, 23 फरवरी. मध्यप्रदेश में चल रहे रेलवे, सड़क सहित अन्य अधोसंरचना के बड़े प्रोजेक्ट की प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा की जाएगी. मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वयक मनोज कुमार गोविल ने सोमवार को मंत्रालय में संयुक्त रूप से पी.एम मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में केंद्र के महत्वपूर्ण 11 प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की.

मुख्य सचिव श्री जैन और समन्वयक सचिव भारत सरकार श्री गोविल ने ली बैठक

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें और पी.एम गति शक्ति पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट से नियमित अवगत कराएं. मुख्य सचिव श्री जैन ने जबलपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय ई.एस.आई अस्पताल के लिए शीघ्र ही भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने के श्रम विभाग को निर्देश दिए और कहा कि आवेदन प्राप्त होने के दो-तीन माह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए.

इस दौरान इंदौर-बुधनी नई रेललाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई रेललाइन परियोजना, सतना-रीवा रेल्वेलाइन के दोहरी करण कार्य, इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन, रतलाम - मह ू-खंडवा अकोला गेज परिवर्तन कार्यों की गहन समीक्षा की गयी.

बीमा कंपनी को 4 करोड़ मुआवजा देने का आदेश

खरगोन. वर्ष 2022 में खरगोन जिले में हुए भीषण टैंकर विस्फोट मामले में चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को लगभग 4 करोड़ रुपये मुआवजे का निर्देश दिया है. यह राशि 15 मृतकों के परिजनों और 10 घायलों को दी जाएगी. 26 अक्टूबर 2022 को अंजनगांव के पास पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा और विस्फोट हो गया. अधिकरण ने पाया कि चालक ने समय रहते प्रशासनिक सहायता नहीं ली और लोगों को सुरक्षित दूरी पर नहीं रखा, जिससे हादसा हुआ. कुल मुआवजा 3.30 करोड़ रुपये तय किया गया, जो ब्याज सहित लगभग 4 करोड़ तक पहुंचता है. अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि घायलों में तीन लोग स्थायी विकलांग हुए हैं.

ग्राम रोजगार सहायकों को अंतरिम राहत

हाईकोर्ट ने मार्गदर्शिका 2025 के क्रियान्वयन पर लगाई रोक

जबलपुर, 23 फरवरी. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों के हक में बड़ी अंतरिम राहत दी है. इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक मार्गदर्शिका के प्रविधान लागू नहीं किए जाएंगे. साथ ही किसी भी ग्राम रोजगार सहायक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता ग्राम रोजगार सहायकों का पक्ष अधिवक्ता गोपेश्वर यश तिवारी ने रखा. उन्होंने दलील दी कि नई मार्गदर्शिका में सेवा शर्तों, स्थानांतरण प्रक्रिया और कार्यप्रणाली से जुड़े कई ऐसे प्रविधान शामिल हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार सहायकों की सेवा स्थिरता प्रभावित हो सकती है. बिना पर्याप्त परामर्श और स्पष्ट नीति ढांचे के मार्गदर्शिका लागू करना कर्मचारियों के अधिकारों के विपरीत है.

हाईकोर्ट ने मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. साथ ही निर्देशित किया है कि चार सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखी जाए. अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई, विशेष रूप से स्थानांतरण, नहीं की जाएगी. इस अंतरिम आदेश के बाद प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सहायकों में राहत का माहौल है. कई जिलों में स्थानांतरण और नई व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने न्यायालय की शरण ली थी. अब यह मामला चार सप्ताह बाद पुन: सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा.

मौसम : प्रदेश में फिर बढ़ी गर्माहट

भोपाल, 23 फरवरी. मध्यप्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से बादल छंटने लगे हैं, जिससे मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा. बादलों के कम होने के कारण अब दिन के अधिकतम तापमान में लगभग एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

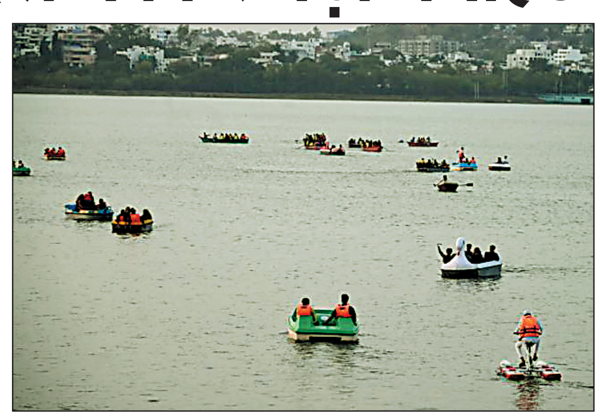

वहीं, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जिससे सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस की गई.

इस बीच प्रदेश में सबसे अधिक तापमान धार और मंडला में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. इसके साथ एक ट्रफ लाइन दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक फैली हुई है. इस मौसमी तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों बालाघाट, मंडला, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और सिवनी—में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि वर्षा की तीव्रता अधिक नहीं रहने की उम्मीद है.

> अगले 24 घंटों में प्रदेश का अधिकांश भाग शुष्क बना रह सकता है. राजधानी भोपाल में आसमान साफ रहने के आसार हैं, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है. तापमान में मामूली बदलाव की संभावना है, जिसमें दिन का पारा लगभग एक डिग्री तक गिर सकता है, जबकि रात के तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में तापमान इस प्रकार रहा भोपाल में अधिकतम 32.2 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 32.2 और 13.7 डिग्री, ग्वालियर में 29.9 और 15.0 डिग्री तथा जबलपुर में 31.7 और 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है.

मध्यप्रदेश में 27 लाख नंबर डिस्कनेक्ट

46 लाख की पुन: सत्यापन प्रक्रिया

भोपाल, 23 फरवरी. दूरसंचार विभाग, मध्यप्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है.

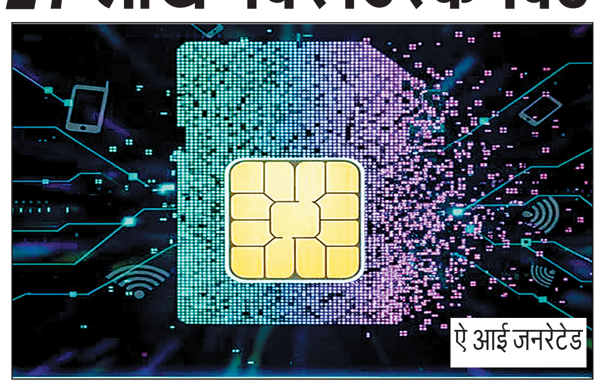

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल और नागरिकों की रिपोर्टिंग के आधार पर फर्जी पहचान या पते पर जारी कनेक्शन, एक ही व्यक्ति के नाम पर अधिकतम सीमा से ज्यादा (9 से अधिक) सक्रिय नंबर और संदिग्ध साइबर गतिविधियों से जुड़े सिम कार्डों की पहचान की गई. लगभग 46 लाख नंबरों को पुन: सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें से 27 लाख नंबरों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया. यह कदम डिजिटल अपराध, व्हाट्सएप स्पैम कॉल, डीपफेक वीडियो, साइबर फिशिंग और अन्य गंभीर धोखाधड़ी से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया. संचार साथी पोर्टल पर स्थित 'चाक्षु' फीचर के माध्यम से लोग धोखाधड़ी कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज और साइबर लिंक आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका उद्देश्य जनता को मोबाइल फ्राड, पहचान की चोरी और फिशिंग जैसी जोखिमों से बचाना है.

दूरसंचार विभाग का लक्ष्य सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है. नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग लगातार सतर्क और प्रतिबद्ध है.

सीएम और रेल मंत्री नई ट्रेनों का करेंगे शुभारंभ

भोपाल-धनबाद एवं भोपाल-चोपन ट्रेन आज होंगी रवाना

भोपाल, 23 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को भोपाल स्टेशन से दो नई ट्रेनों भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस एवं भोपाल-चौपन एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे.

इस अवसर पर शाम 19.30 बजे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. कार्यक्रम में रेल मंत्री श्री वैष्णव वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे.

ट्रेन भोपाल-धनबाद-भोपाल त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस नियमित रूप से 27 फरवरी को भोपाल से एवं 01 मार्च को धनबाद से चलेगी. जबकि भोपाल-चोपन-

भोपाल नई साप्ताहिक ट्रेन नियमित रूप से 01 मार्च को भोपाल से एवं 02 मार्च को चोपन से चलेंगी.

इस दोनों नई गाड़ी में 1 प्रथम श्रेणी एसी, 2 द्वितीय श्रेणी एसी, 6 थर्ड एसी, 7 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी, 1 एसएलआरडी एवं 1 जनरेटरकार सहित कुल 22 एलएचबी कोच होंगे.

दो नई ट्रेन के शुभारम्भ पर गाड़ी संख्या 01631 भोपाल-धनबाद उदघाटन स्पेशल भोपाल से 24 फरवरी को 19.30 बजे प्रस्थान कर, विदिशा 20.00 बजे आगमन कर एवं मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहराव करते हुए अगले दिन 19.20 बजे धनबाद पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 01632 धनबाद से 25 फरवरी को 23.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन विदिशा 21.20 बजे आगमन एवं भोपाल 22.35 बजे पहुँचेगी.

> ठहराव स्टेशन:-विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, खन्ना बनजारी, ब्योहारी, मरवासग्राम, सरईग्राम, बरगवां, सिंगरौली, करैला रोड, मिर्चाधुरी, ओबरा डैम, चोपन, रेनुकूट, नगर उंटारी, गढ़वा, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी, खलारी, पतरातू, रांची रोड, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा एवं कतरासगढ़।

घूसखोर पंडत मामले में परिवादी के बयान दर्ज

जबलपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पंकज सविता की अदालत ने फिल्म घूसखोर पंडत के विवादित शीर्षक के मामले में परिवादी जबलपुर निवासी वैभव पाठक के बयान दर्ज किए.

साथ ही निर्माता- निर्देशक नीरज पांडे, ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स के विदेश में निवासरत शीर्ष अधिकारियों रीड हेस्टिंग्स, अध्यक्ष, नेटफ्लिक्स (यूएसए), टेड सरंदास, सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेटफ्लिक्स, बेला बजरिया मुख्य सामग्री अधिकारी, नेटफ्लिक्स (यूएसए) सहित नेटफ्लिक्स की भारतीय वितरक मोनिका शेरगिल के विरुद्ध नोटिस जारी किए हैं. परिवादी की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, पंकज तिवारी, प्रशांत सिरमोलिया, विनीत टेहेनगुरिया, रीतेश शर्मा, शुभम पाटकर व अरविंद सिंह चौहान ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म का शीर्षक परिवर्तित किया जा रहा है, किंतु उस शीर्षक के व्यापक प्रचार-प्रसार से समाज के एक बड़े वर्ग ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को जो क्षति पहुंची है, वह अपरिवर्तनीय है. और उसके लिए अभियुक्तों को विधि सम्मत उत्तरदायी होना होगा.

कार्यालय नगर परिषद् अमानगंज, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक/380/लो.नि.शा./ई-निविदा/2026 — अमानगंज दिनांक: 20.02.26

ई-निविदा आमंत्रण-सूचना

नगर परिषद अमानगंज में विभिन्न कार्यो हेतु मेन पावर/श्रमिकों/व्यक्तियों (उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल) की आउटसोर्स के माध्यम से व्यवस्था कराये जाने हेतु पंजीकृत/फर्म/ऐजेंसियों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
01	2026_UAD_484508_1	समय-समय पर आवश्यक्ता अनुसार विभिन्न कार्य हेतु मेन पावर/श्रमिकों/व्यक्तियों (उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल) उपलब्ध कराये जाने बावत्।	(1) 12 माह (2) 10.00 लाख	(1) 2000/- (2) 10000/-	23.02.2026 17:30 PM TO 11.03.2026 17:30 PM

1. इच्छुक निविदाकार निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।
2. निविदा सूचना में किसी भी संसोधन का समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। यद्यपि उक्त वेवसाईट में प्रकाशन किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् अमानगंज
जिला-पन्ना (म0प्र0)

पब्लिक नोटिस

फॉर्म नंबर INC-26

[कंपनी (इनकॉर्पोरेशन) रूल्स 2014 का रूल 30]

कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने के लिए अखबार में विज्ञापन,
सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, अहमदाबाद के सामने,
कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन 4 और कंपनी (इनकॉर्पोरेशन) रूल्स 2014 के रूल 30 के सब-रूल (5) के क्लॉज (a) के मामले में
और
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस महान लिमिटेड के मामले में
CIN: U40106MP2022PLC066994
रजिस्टर्ड ऑफिस : ग्राउंड फ्लोर, हाउस नंबर 184, वार्ड नंबर 40, डेव स्कूल के पास, बैढन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, भारत-486886

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, अहमदाबाद में अप्लाई करने का प्रपोज़ल रखती है. कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 13 के तहत सरकार को एक अर्जी भेजी गई है, जिसमें 12 फरवरी 2026 को हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पास हुए स्पेशल प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि की मांग की गई है, ताकि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस 'मध्य प्रदेश राज्य' से 'गुजरात राज्य' में बदल सके.

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ऊपर बताए गए प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारणों को बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियाँ REGIONAL DIRECTOR (NORTH-WESTERN REGION) को ROC भवन, Opp. रूपल पार्क सोसाइटी, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नारनपुरा, अहमदाबाद - 380013, गुजरात के पते पर दे सकता है या दिलवा सकता है या रजिस्टर्ड डाक से भेज सकता है. इस नोटिस के पब्लिश होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर APPLICANT कंपनी की एक कॉपी के साथ उसके रजिस्टर्ड ऑफिस, ग्राउंड फ्लोर, हाउस नंबर 184, वार्ड नंबर 40, डेव स्कूल के पास, बैढन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, भारत, 486886 पर जमा करनी होगी.

के लिए और उनकी ओर से
अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस महान लिमिटेड

अतुल सिंह राघव मैनेजिंग डायरेक्टर
DIN: 09756298
तारीख : 24.02.2026
जगह : अहमदाबाद

नोट :- सिंगरौली जिले को पूरी तरह से नवभारत के सतना एडिशन में ही कवर किया गया है.

In The Court Of XI Additional District Judge, District Court, Rewa
presiding Officer : मोहित कुमार
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC/ 0000713/2022)
मयंक भूषण चतुर्वेदी ....वादी
V/s
नसीम बाबू........................प्रतिवादी
process Id-/2026
पेशी दिनांक :-10/03/2026

प्रेषिती-
(1) के0पी0 गुप्ता पिता रामसलोने गुप्ता पता- हाउसिंग बोर्ड कालोनी बोदाबाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, (2) सत्यभान चतुर्वेदी तनय स्वा0 रामगोपाल पता- ग्राम पिपरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, (3) शिवेन्द्र कुमार पिता रामानंद चतुर्वेदी पता- ग्राम पिपरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, (4) धीरेन्द्र कुमार पिता रामानंद चतुर्वेदी पता-ग्राम पिपरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, (5) श्रीमती गोदावरी पुत्री रामानंद पता- ग्राम पिपरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, (6) गजेन्द्र कुमार पिता स्व0 रामानंद चतुर्वेदी पता- ग्राम पिपरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, (7) हरिकृष्ण पिता रामानंद चतुर्वेदी पता- ग्राम पिपरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

यह कि प्रार्थी **मयंक भूषण चतुर्वेदी** ने आपके विरुद्ध **विविध** के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख **06 फरवरी 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
(मोहित कुमार)
ग्यारहवें जिला न्यायाधीश रीवा,
जिला-रीवा (म0प्र0)